

अनु0335/11712017-टीआरयू(पट-तृतीय)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(टैक्स रिसर्च यूनिट)

--

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 26 अक्तूबर, 2017

सेवा में,

प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर/प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल,  
मुख्य आयुक्त/निदेशक जनरल,  
प्रधान आयुक्त/आयुक्त  
सीबीईसी के तहत सभी

मैडम/सर

**विषय: लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन हेतु लिए गये बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) पर जीएसटी के प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण-संबंधित**

संक्षेप में कहा गया है, लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन हेतु लिए गये बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) पर जीएसटी के प्रयोज्यता से संबंधित संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. इस संदर्भ में एलएबी निर्माताओं ने कहा कि वे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) एक रिफाइनरी, से बेहतर मिट्टी के तेल (एसकेओ) प्राप्त करते हैं । वे एसकेओ से एन-पैराफिन (C9 - C13 हाइड्रोकार्बन ) निकालते हैं और शेष एसकेओ को रिफाइनरी को वापस लौटाते हैं । इस संदर्भ में, मुद्दा सामने आया है कि इस सौदे में जीएसटी एन-पैराफिन निकालने के लिए आईओसी द्वारा भेजे गए एसकेओ पर लगेगा या एलएबी निर्माताओं द्वारा निकाले गए एन-पैराफिन मात्र पर ही लगेगा । इसके अलावा, यह संदेह भी उठाया गया है कि क्या एलएबी निर्माताओं द्वारा जो शेष कैरोसिन की वापसी की गई है ऐसा लेनदेन अलग से जीएसटी को आकर्षित करेगा ।

3. मामले की जांच की गई । एलएबी निर्माता आमतौर पर एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी से बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) प्राप्त करते हैं, रिफाइनरी से प्राप्त कुल एसकेओ की औसत मात्रा का लगभग 15

से 17 प्रतिशत रखा जाता है और शेष राशि 83 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक रिफाइनरी में वापस लौटाई जाती है । इसकेओ सामान्य पैराफिन को निकालने में प्रयुक्त होता है, जो एलएबी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है । इस प्रक्रिया में, एलएबी निर्माताओं द्वारा भुगतान केवल बनाए गए इसकेओ (एन-पैराफिन) की मात्रा पर किया जाता है ।

4. इस संदर्भ में, जीएसटी परिषद ने 6.10.2017 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में व्याख्या की और स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की कि इस प्रक्रिया में जीएसटी रिफाइनरी द्वारा बेहतर कैरोसिन तेल(एसकेओ) की उस मात्रा के मूल्य पर देय होगा, जो कि लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के निर्माता एलएबी के उत्पादन के लिए रख लेते हैं।

5. तदनुसार, पूर्वोक्त मामले में, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटी रिफाइनरी द्वारा केवल लिनियर अल्केइल बेंजीन (एलएबी) के उत्पादन के लिए रखे गए बेहतर कैरोसिन तेल (एसकेओ) की मात्रा पर देय होगा। यद्यपि रिफाइनरी एसकेओ की वापस की गई मात्रा पर किसी अन्य व्यक्ति को आपूर्ति करते समय जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

6. यह स्पष्टीकरण गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीसटी) कानून के संदर्भ में जारी किया गया है और पिछले मुद्दों पर, यदि कोई हो, तो उसे उस समय पर प्रचलित कानून के अनुसार निपटा जाएगा ।

आपका आभारी,

(अमित कुमार सिंह)

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

ईमेल: amitsingh.1289@gov.in